न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू.........

12/5/18

22/10/18

बृजेश बनाम सरपंच, नूरपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/10/18	वकील अपीलान्ट उपस्थित। पत्र अपील वकील अपीलान्ट ने पेश की दर्ज पंजिका हो। रेस्पोडेन्ट गणों नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 10/1/19 को पेश हो। SDO	3124 2-11-18
10/1/19	वकील अपीलान्ट उपस्थित सावित आदेश दिनांक 22/10/18 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रेस्पो. दिनांक 12/2/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12/4/19	आज यह पत्रावली पेश हुई आज बार एसो. कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 8/4/19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर)	
8/4/19	कुलाब पेशीकेन उप./P.O. साहब छुट्टी पर पत्रावली दिनांक 21/5/19 को पेश हो।	
21-5-19	कुलाब पेशीकेन उप./P.O. साहब छुट्टी पर पत्रावली दिनांक 9/7/19 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.7.20	बमुताबिक केरोकेन नं०/P.O. बाहस Covid-19 पत्रावली दिनांक 25/9/2020 को पेश हो।	
25/9/20	बमुताबिक केरोकेन नं०/P.O. बाहस Covid-19 पत्रावली दिनांक 5/3/21 को पेश हो।	
5/3/21	वकील वादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/3/21 को पेश हो रेस्पोंडेन्ट्स बावजूद तामील उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। खण्ड अधिकारी कठूमर अलवर	
23/3/21	वकील वादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 5/3/21 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 5/4/21 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
5/4/21	बमुताबिक केरोकेन नं०/P.O. बाहस Covid-19 पत्रावली दिनांक 29/11/21 को पेश हो।	
29/11/21	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली पर बहस अपीलार्थी सुनी गई अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तत्काल तहसील 404 वाके ग्राम जलेमपुर से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 0.81 हे० वाके ग्राम जलेमपुर पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपीलार्थी बृजेश का नाम तेजेश पुत्र कन्नूलाल के स्थान पर बृजेश पुत्र कन्नूलाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को भिजवाये। तहसीलदार कठूमर को आदेश है की वो उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर दा० मि० किया गया। पत्रावली मौसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर तकमील जिला दाखिल रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकि ोर मीना आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/5/2018

वउनवान

1. बृजेश पुत्र बच्चूलाल जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नूरपुर–गंजपुर जिला अलवर

------ रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 404 वाके ग्राम सलेमपुर
आज्ञा दिनांक 05.05.2007 ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर

उपस्थित :–

श्री सतीशचन्द शर्मा– अपीलाण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 409 रकवा 0.89 हे. ग्राम सलेमपुर तहसील कठूमर में वाके है। जिसमें अपीलाण्ट के पिता बच्चूलाल का 1/2 हिस्सा था। अपीलाण्ट के पिता बच्चूलाल के फौत होजाने पर उनका विरासत इन्तकाल दो पुत्र देवेन्द्र कुमार, बृजेश व एक पुत्री द्रोपती व एक वेवा हरदेई के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज व तस्दीक होना था। अपीलाण्टके पिता बच्चूलाल के फौत होने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 404 वाके ग्राम सलेमपुर पटवारी हल्का ने मृतक के सभी वारिसान की सही जांच

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किये विना खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व व मनमाने तरीके से अपीलाण्ट जो मृतक का पुत्र था उसे पुत्री दर्ज कर दिया जो गलत है जिस इन्तकाल पर कानून गौ ने अंकन सही होना लिख दिया व पटवारी हलका ने दोशपूर्ण इन्तकाल को दिनांक 05.05.2007 को रेस्पो0 के समक्ष बास्ते फैसल पेश किया जो इन्तकाल ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को विना सुने विना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका स्वीकार कर दिया। जिस दोश पूर्ण इन्तकाल का हाल जमाबन्दी में उसी अनुसार अमल हो गया। जवकि अपीलाण्ट बच्चूलाल मृतक का पुत्र था पटवारी ने इन्तकाल में अपीलाण्ट को मृतक की पुत्री लिखकर रेस्पो0 से स्वीकार कराकर भारी कानूनी भूल की है। इस वजह से रेस्पो0 का आदेश दिनांक 05.05.2007 दोश पूर्ण होने से निरस्त किये जाने हेतु अपील अदालत श्रीमान में पे ा की गई है। गलत इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्टस को दिनांक 02.08.2018 को उस समय हुई जव अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर केडिट कार्ड बनवाने की फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास गया। उससे पहले उक्त दोशपूर्ण इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हुई। जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने दोशपूर्ण इन्तकाल की दिनांक 03.08.2018 को नकल लेकर रेस्पो0 से उक्त गलत इन्तकाल को सही करने वावत कहा तो रेस्पो0 ने इन्कार कर दिया। दिनांक 05.05.2007 से दिनांक 11.09.2018 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। अतः अपील के साथ अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया व अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण बताते हुये देरी को कण्डोन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद सुमार किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पो0 वावजूद तामील उपस्थित नही आया। जिसके विरूद्व दिनांक 05.02. 2021 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर द्वारा जारी सजरा, नामान्तकरण संख्या 404, नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम भोजपुरा नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम सलेमपुर व छाया प्रति आधार कार्ड पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

बहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व नामान्तकण व छाया प्रति आधार का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 404 वाके ग्राम भोजपुरा में अपीलाण्ट का नाम बृजेश पुत्री बच्चूलाल के स्थान पर बृजेश पुत्र बच्चूलाल दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्ट ने उक्त दोशपूर्ण इन्तकाल की जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 404 वाके ग्राम सलेमपुर मे अंकित सजरा में अपीलाण्ट बृजेश के नाम के नीचे पुत्री अंकित है। जमाबन्दी में भी इस खसरा नम्बर मे बृजेश पुत्री बच्चूलाल का अंकन है अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत गंजपुर नूरपुर जारी सजरा से यह स्पश्ट है कि अपीलाण्ट बृजेश बच्चूलाल की पुत्री न होकर पुत्र है। अपीलाण्ट की ग्राम सलेमपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम सलेमपुर के अलावा ग्राम भोजपुरा में आराजी खसरा नम्बर 302, 353, 381/770, 392, 525, 559 स्थित है जिसमें अपीलाण्ट का नाम बृजेश पुत्र बच्चूलाल दर्ज है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम भोजपुरा की जमाबन्दी के अवलोकन व अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन करने पर बृजेश बच्चूलाल की पुत्री न होकर पुत्र होना प्रमाणित है। पटवारी हल्का ने इन्तकाल संख्या 404 वाके ग्राम सलेमपुर भरते समय अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये बृजेश पुत्री बच्चूलाल गलत दर्ज किया है। पटवारी हल्का को अपीलाण्ट को सुनकर बृजे ा को बच्चूलाल का पुत्र दर्ज करना चाहिए था।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 404 वाके ग्राम सलेमपुर से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 409 रकवा 0.89 हे. वाके ग्राम सलेमपुर पर अपीलाण्ट बृजेश का नाम बृजेश पुत्री बच्चूलाल के स्थान पर बृजेश

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पुत्र बच्चूलाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 29.11.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)